

# संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 14)

[12 अप्रैल, 2017]

संघ राज्यक्षेत्र द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतरराज्यिक प्रदाय पर कर के  
उद्ग्रहण और संग्रहण तथा उससे संबंधित या  
उसके आनुषंगिक विषयों का  
उपबंध करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इस अधिनियम का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव, चंडीगढ़ और अन्य राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

**2. परिभाषाएं—**इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो,—

(1) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(2) “आयुक्त” से धारा 3 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का आयुक्त अभिप्रेत है;

(3) “अभिहित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(4) “छूट प्राप्त प्रदाय” से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है जिन पर कर की दर शून्य है या जिन्हें धारा 8 के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर से छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर कराधेय प्रदाय भी है;

(5) “विद्यमान विधि” से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद् या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है बनाया गया है;

(6) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रशासक या कोई प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है;

(7) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में, “आउटपुट कर” से उसके द्वारा या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत है किंतु इसमें प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

(8) “संघ राज्यक्षेत्र” से,—

(i) अंडमान और निकोबार द्वीप;

(ii) लक्षद्वीप;

(iii) दादरा और नागर हवेली;

- (iv) दमण और दीव;
- (v) चंडीगढ़; या
- (vi) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

**स्पष्टीकरण**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

(9) “संघ राज्यक्षेत्र कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है;

(10) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं।

## अध्याय 2

### प्रशासन

**3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी**—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों और उतने अन्य वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित हों और ऐसे अधिकारियों को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, उचित अधिकारी समझा जाएगा:

परंतु विद्यमान विधि के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

**4. अधिकारियों को प्राधिकार देना**—प्रशासक, आदेश द्वारा किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के प्रशासन के लिए सहायक संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे के संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

**5. अधिकारियों की शक्तियां**—(1) कोई संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) कोई संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी, किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियों का उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के कर अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

**6. कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां कोई उचित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन केन्द्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर किन्हीं कार्यवाहियों को प्रारंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हो, के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

### अध्याय 3

#### कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

**7. उद्ग्रहण और संग्रहण**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मध्यसारिकपान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवा या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और वीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, संघ राज्यक्षेत्र कर नामक कर का, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त होगा।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्यता पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर, संघ राज्यक्षेत्र कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर किया जाएगा, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है।

(5) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक प्रदायों पर कर का संदाय इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा प्रदायकर्ता है जो ऐसी सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है:

परंतु जहां कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है वहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर के संदाय के लिए दायी होगा:

परंतु यह और कि जहां कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उसका उक्त राज्यक्षेत्र में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर के संदाय के लिए दायी होगा।

**8. कर से छूट देने की शक्ति**—(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वहां वह परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा साधरणतया पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वहां वह परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश की परिधि या उसके लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश के जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, यथास्थिति, अधिसूचना या आदेश समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से कोई छूट दी गई है, वहां माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

## अध्याय 4

### कर का संदाय

**9. कर का संदाय**—रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में,—

(क) एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग प्रथमतया एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग केन्द्रीय कर और, यथास्थिति, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, उस क्रम में संदाय हेतु किया जा सकेगा;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग प्रथमतया संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए किया जा सकेगा;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग केन्द्रीय कर के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा।

**10. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण**—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में संगृहीत रकम को, इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते से इस प्रकार घटाई गई रकम के बराबर रकम का एकीकृत कर खाते में अंतरण करेगी।

## अध्याय 5

### निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

**11. उचित अधिकारियों की सहायता के लिए अपेक्षित अधिकारी**—(1) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उचित अधिकारियों की, पुलिस, रेल, सीमाशुल्क के सभी अधिकारी और वे अधिकारी जो भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए हैं, जिनके अंतर्गत ग्राम अधिकारी भी हैं और केन्द्रीय कर अधिकारी तथा राज्य कर अधिकारी सहायता करेंगे।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उचित अधिकारियों की सहायता के लिए, जब आयुक्त द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, किसी अन्य वर्ग के अधिकारियों को सशक्त कर सकेगी और उनकी अपेक्षा कर सकेगी।

## अध्याय 6

### मांग और वसूली

**12. कर का गलत तौर पर संग्रहण और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार को संदाय**—(1) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिसने, किसी ऐसे संव्यवहार पर, केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक अन्तरराज्यिक प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् अन्तरराज्यिक प्रदाय धारित किया जाता है, इस प्रकार संदत्त की गई करों की रकम का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से जिसने, किसी ऐसे संव्यवहार पर, एकीकृत कर का संदाय किया है जो उसके द्वारा एक अन्तरराज्यिक प्रदाय माना गया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् अन्तरराज्यिक प्रदाय धारित किया जाता है, संदेय केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं होगी।

**13. कर की वसूली**—(1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा कर ब्याज या शास्ति की कोई रकम सरकार को संदेय है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, उक्त व्यक्ति से उक्त बकाया कर की वसूली के दौरान, रकम की वसूली इस प्रकार कर सकेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया था और इस प्रकार वसूल की गई रकम को संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित शीर्ष के अधीन सरकार के खाते में जमा कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन वसूल की गई रकम, इस अधिनियम तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां सरकार के खाते में जमा की जाने वाली रकम संघ राज्यक्षेत्र कर और केन्द्रीय कर के रूप में शोध्य रकम के अनुपात में होगी।

## अध्याय 7

### अग्रिम विनिर्णय

**14. परिभाषाएं**—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अग्रिम विनिर्णय” से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किया गया है या जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों पर या प्रश्नों पर किसी आवेदक के प्रति प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) “अपील प्राधिकरण” से धारा 16 के अधीन गठित आग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “आवेदक” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “आवेदन” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) “प्राधिकरण” से धारा 15 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण अभिप्रेत है।

**15. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसका नाम (संघ राज्यक्षेत्र का नाम), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण होगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी राज्य या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले—

- (i) केन्द्रीय कर अधिकारियों में से एक सदस्य; और
- (ii) संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों में से एक सदस्य,

से मिलकर बनेगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

**16. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन**—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका नाम (संघ राज्यक्षेत्र का नाम), अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण होगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी राज्य या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) अपील प्राधिकरण, —

- (i) केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त जिसे बोर्ड द्वारा अभिहित किया जाए; और
- (ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त,

से मिलकर बनेगा।

## अध्याय 8

### संक्रमणकालीन उपबंध

**17. विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन**—(1) नियत दिन से ही, विद्यमान विधियों में से किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनंतिम आधार पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे, जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रद्द कर दिया जाएगा।

(2) अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाएगा, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण, ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है कि वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

**18. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं**—(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंध में विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में अग्रणीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, की रकम का, अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में, उक्त दिन को छोड़कर नब्बे दिन के अपश्चात्, प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां उसने विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से ठीक पहले की छह मास की अवधि के लिए अपेक्षित सभी विवरणियां नहीं दी हैं; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त रकम, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी छूट अधिसूचनाओं के अधीन विक्रय किए गए माल के संबंध में है:

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 या धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से सम्बन्धित कोई ऐसा दावा माना जा सकता है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति से और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा करने योग्य नहीं होगी:

परंतु यह भी कि जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है तो विद्यमान विधि के अधीन दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का प्रतिदाय तब किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नियत दिन से ठीक पहले दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा दी गई किसी विवरणी में अग्रणीत न किए गए पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय का अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हो और इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय न हो।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय” पद से वह रकम अभिप्रेत है जो विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में, ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम में से, जिसके प्रति उक्त व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था, पहले उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम को घटाने के पश्चात् बाकी बची हो।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं था या जो छूटप्राप्त माल या कर-मुक्त माल या ऐसे माल के विक्रय में लगा हुआ था, जिन पर विद्यमान विधि के अधीन संघ राज्यक्षेत्र में उनके विक्रय के पहले स्थान पर कर का भुगतान कर दिया है और जिनका पश्चात्वर्ती विक्रय संघ राज्यक्षेत्र में कर के अधीन नहीं है किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन हैं या जहां व्यक्ति माल के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के प्रत्यय का हकदार था, वहां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को, स्टॉक में धारित इनपुट के संबंध में और स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित माल या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, का अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खातों में प्रत्यय लेने का हकदार होगा, अर्थात्:—

(i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का पात्र हो;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में ऐसे इनपुटों के संबंध में ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं, जो विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य हों;

(iv) ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए हों:

परन्तु यदि किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में इनपुटों के संबंध में कर संदाय के साक्ष्य का कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, इस बात के साथ-साथ कि प्राप्तिकर्ता को घटी कीमत के रूप में ऐसे प्रत्यय का फायदा संक्रान्त करेगा, ऐसी शर्तों, सीमाओं और रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी दर पर और रीति में जो विहित की जाए, प्रत्यय अनुज्ञात होगा।

(4) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय माल के साथ-साथ छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल के विक्रय में लगा हुआ था किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है, अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रणीत मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुट और स्टॉक में धारित अधर्निर्मित या तैयार माल में अन्तर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हों, के प्रत्यय की रकम,

लेने का हकदार होगा।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे इनपुट के संबंध में, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त हुआ है किन्तु जिसके संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर का संदाय प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय दस्तावेज को नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तक में अभिलिखित कर दिया था, मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर का, यदि कोई हो, अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु आयुक्त द्वारा तीस दिन की अवधि को, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्यय के संबंध में, जो इस उपधारा के अधीन लिया गया है ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय कर रहा था या देय कर के बदले में नियत रकम का संदाय कर रहा था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुट और स्टॉक में धारित अधर्निर्मित या तैयार माल में अन्तर्विष्ट इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:—

(i) ऐसे इनपुट या माल का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए किया गया है या किया जाना आशयित है;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय न किया हो;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हो;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे इनपुटों के संबंध में कर के संदाय के साक्ष्य हों; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के ठीक पहले के बारह मास से पहले जारी नहीं किए गए थे।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन जमा की रकम की संगणना, ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए।

**19. छुटपुट कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध—**(1) जहां नियत दिन के पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कारबार के स्थान पर प्राप्त किसी इनपुट को किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को उसी रूप में या भागतः प्रसंस्कृत करने के पश्चात् और प्रसंस्करण परीक्षण, पुनर्नकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रेषित किया गया था और ऐसे इनपुट उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् लौटा दिए जाते हैं, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि ऐसे इनपुटों को नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) जहां किसी अर्धनिर्मित माल को कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में “उक्त माल” कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त माल वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा:

परन्तु यह भी कि विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का अंतरण किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर को, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना वहां से प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा।

(3) जहां माल को, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कर का संदाय किए बिना कारबार के स्थान से परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के लिए किसी अन्य परिसर को, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, प्रेषित किया गया था और ऐसा माल नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर ऐसे स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा:

परन्तु यह भी विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना उक्त अन्य परिसर से अंतरण कर सकेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर केवल तब संदेय नहीं होगा यदि माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति और छुटपुट कार्य करने वाला कर्मकार, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, नियत दिन को उक्त व्यक्ति की ओर से छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित इनपुट या माल के ब्यौरों की घोषणा कर देता है।

**20. प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध—**(1) जहां ऐसा कोई माल जिस पर विद्यमान विधि के अधीन कर, यदि कोई हो, उसके ऐसे विक्रय के समय, जो नियत दिन से पूर्व छह मास से पहले का हो, संदत्त कर दिया था, नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए उस दशा में पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है और ऐसा माल उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पहचान योग्य है:

परन्तु यदि उक्त माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है तो ऐसे माल के लौटाए जाने को प्रदाय समझा जाएगा।

(2) (क) जहां नियत दिन से पहले की गई संविदा के अनुसरण में, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी माल की कीमत को ऊपर की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का विक्रय किया था, प्राप्तकर्ता को ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर एक अनुपूरक बीजक या नाम नोट जारी करेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक या नाम नोट को, इस अधिनियम के अधीन किए गए जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया गया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत दिन से पहले की गई संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी माल की कीमत को नीचे की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का विक्रय किया था, प्राप्तकर्ता को ऐसी कीमत पुनरीक्षण के तीस दिन के भीतर, एक जमापत्र जारी कर सकेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो विहित की जाएं और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे जमापत्र को इस अधिनियम के अधीन किए गए जावक प्रदाय के सम्बन्ध में जारी किया गया समझा जाएगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जमापत्र के जारी किए जाने के मद्दे उसके कर दायित्व को कम करने के लिए केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब जमापत्र के प्राप्तकर्ता ने कर दायित्व की ऐसी कमी के तत्समान अपने इनपुट कर प्रत्यय को कम कर दिया हो।



(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी को नियत दिन के पश्चात् किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पुनरीक्षित किया जाता है और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में, किसी कराधेय व्यक्ति के प्रति कोई रकम प्रतिदेय पाई जाती है या इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय पाया जाता है तो वहां उसे विद्यमान विधि के अधीन उसका नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकृत रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(9) इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, नियत दिन से पहले की गई संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रदाय किए गए माल या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के दायित्व के अधीन होंगे।

(10) (क) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर, उस विस्तार तक कोई कर संदेय नहीं होगा, जिस तक विद्यमान विधि के अधीन उक्त माल पर कर उद्ग्रहणीय था।

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर उस विस्तार तक कोई कर संदेय नहीं होगा, जिस तक वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर कर उद्ग्रहणीय था।

(ग) जहां किसी प्रदाय पर, माल के विक्रय से संबंधित किसी विद्यमान विधि के अधीन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन कर संदत्त किया गया था, वहां इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय होगा और कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् किए गए प्रदायों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्यवर्धित कर या सेवा कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसे प्रत्यय की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए।

(11) जहां ऐसे अनुमोदन के आधार पर जो नियत दिन से पूर्व छह मास पहले का न हो, भेजा गया कोई माल क्रेता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और उसे नियत दिन को या उसके पश्चात् विक्रेता को लौटा दिया जाता है, वहां उस पर कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर लौटा दिया जाता है:

परंतु आयुक्त द्वारा छह मास की उक्त अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर, दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लौटाया जाता है तो माल को लौटाने वाले व्यक्ति द्वारा कर संदेय होगा:

परंतु यह भी कि यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व के अधीन है और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लौटाया जाता है तो कर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन आधार पर माल भेजा था।

(12) जहां किसी प्रदायकर्ता ने किसी ऐसे माल का विक्रय किया है जिसके संबंध में माल के विक्रय से संबंधित किसी विद्यमान विधि के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का किया जाना अपेक्षित था और उसने उसके लिए नियत दिन से पहले बीजक भी जारी किया है, वहां उस स्थिति में जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत दिन को या उसके पश्चात् किया जाता है, इस अधिनियम को लागू होने वाली केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

**स्पष्टीकरण**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “पूजी माल” पद का वही अर्थ होगा जो माल के विक्रय से संबंधित किसी विद्यमान विधि में उसका है।

## अध्याय 9

### प्रकीर्ण

**21. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्धों का लागू होगा**—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध,—

- (i) प्रदाय की परिधि;
- (ii) सम्मिश्रण उद्ग्रहण;
- (iii) संयुक्त प्रदाय और मिश्रित प्रदाय;
- (iv) प्रदाय का समय और मूल्य;
- (v) इनपुट कर प्रत्यय;
- (vi) रजिस्ट्रीकरण;
- (vii) कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट;

- (viii) लेखा और अभिलेख;
- (ix) विवरणियां;
- (x) कर का संदाय;
- (xi) स्रोत पर काटा गया कर;
- (xii) स्रोत पर कर संग्रहण;
- (xiii) निर्धारण;
- (xiv) प्रतिदाय;
- (xv) संपरीक्षा;
- (xvi) निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी;
- (xvii) मांग और वसूली;
- (xviii) कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व;
- (xix) अग्रिम विनिर्णय;
- (xx) अपील और पुनरीक्षण;
- (xxi) दस्तावेजों के बारे में उपधारणा;
- (xxii) अपराध और शास्तियां;
- (xxiii) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार;
- (xxiv) इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य;
- (xxv) निधियों का परिनिर्धारण;
- (xxvi) संक्रमणकालीन उपबंध; और
- (xxvii) प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत ब्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंधित भी हैं,

यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित,—

(क) जहां तक हो सके, संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में इस प्रकार लागू होते हैं, मानो वे इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हों;

(ख) निम्नलिखित ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार परिस्थितियों के अनुसार उन उपबन्धों को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझती है, अर्थात्:—

- (i) “इस अधिनियम” के प्रति निर्देश, “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (ii) “आयुक्त” के प्रति निर्देश इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित संघ राज्यक्षेत्र का “आयुक्त” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (iii) “केन्द्रीय कर अधिकारियों” के प्रति निर्देश “संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (iv) “केन्द्रीय कर” के प्रति निर्देश “संघ राज्यक्षेत्र कर” और विपर्ययेन के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (v) “राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त” के प्रति निर्देश “केन्द्रीय कर आयुक्त” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (vi) “राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम” के प्रति निर्देश “केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे;
- (vii) “राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर” के प्रति निर्देश “केन्द्रीय कर” के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।

**22. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यन्वित के लिए नियम बना सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी जिनका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाएं या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों या उनमें से किसी नियम को उस तारीख से, जो उस तारीख से पूर्वतर नहीं है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।

**23. विनियम बनाने की साधारण शक्ति**—बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

**24. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा या रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, या ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम या विनियम या अधिसूचना निष्प्रभाव हो जाएगा या जाएगी। किंतु, यथास्थिति, नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे प्रवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**25. अनुदेश या निदेश देने की शक्ति**—आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और तदुपरि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

**26. कठिनाइयों को दूर करना**—(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों, या जो उक्त कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।